राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–121/2014/

दिनांक :

–: आदेश :–

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित **दिनांक 04.05.15 से 02.06.15 तक** Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा0 साकिब अली पठान	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र, पचाला, जिला–टोंक।
2	डा0 मोहम्मद फैसल पठान	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र, धुवाकला, जिला–टोंक।

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 07.05.15 को प्रातःकाल 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल–2)/आर.एच. एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठीन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगें जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य **(पारिवारिक सदस्य/मित्र)** किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नही है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–121/2014/319

दिनांक : 7/5/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 661–64 दिनांक 21.04.14 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में **दिनांक 07.05.15** को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने** की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।